<u>न्यायालय सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।</u>

वाद संख्या– 442/2024

कमरून्निशा बनाम कनीज फातिमा व अन्य।

<u>23.07.2024</u>

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थना–पत्र 6ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय समर्थित शपथ–पत्र 7ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक अनुतोष हेतु योजित किया गया है। चूँकि वादी द्वारा हिब्बानामा दिनांकित 29.12.2023 को शून्य घोषित किये जाने का भी अनुतोष याचित किया गया है, ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय रूप से अस्थाई व्यादेश जारी किये जाने के आधार पर्याप्त नही हैं। अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पैरवी अन्दर तीन दिन हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई 6ग दिनांक 06.08.2024 को पेश हो।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

8ग प्रार्थना–पत्र अदालत अमीन पर सुना। स्वीकृत। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन नियत तिथि तक प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों के अनुक्रम में वास्तविक स्थिति अंकित कर अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

सिविल जज(सी.डि.) जौनपुर।

Digitally signed by ANUJ KUMAR JAUHER
Date: 2024.07.23 16:26:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur